>

Title: Need to take necessary steps to make education accessible to each and every child in the country.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर):मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करते हुए केन्द्र व राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि देश में शिक्षा, विशेषकर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरे गृह राज्य राजस्थान में आज लगभग एक करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं जिनमें अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं। पूरे देश में शिक्षा के अधिकार को सार्थक बनाए जाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से व राज्य सरकारें द्वारा अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं स्कूली शिक्षा को गुणात्मक बनाने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि सोसाइटीज रजिसट्रेशन एक्ट, 1860 के सेक्शन 21 के तहत पंजीकृत संस्थाएं जो अनुसूचित जाति के बच्चों के कल्याणार्थ स्थापित हैं तथा शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति के खातेदारों की भूमि को अर्जित करती है तो उन्हें ज्यूरिस्टीक परसन नहीं माना जाना चाहिए तथा नियम कानूनों में यदि आवश्यक हो तो शिक्षण संस्थानों के स्थापनार्थ आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

अनुसूचित जाति के बालकों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा अनुसूचित जन जाति के बालकों के लिए जन जातीय मामलों के मंत्रालयों ने आवासीय विद्यालय, जो संस्थाओं के माध्यम से किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं उन्हें उचित शिक्षण वातावरण पैदा करने के लिए स्कूल भवन निर्माण हेतु एक मुश्त राशि दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षा के अधिकार को सार्थक करने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें सामाजिक शिक्षण संस्थाओं को सभी क्षेत्रों में संभव योगदान करें।